सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 1531 / वै0सहा0 विविध / 2021 दिनॉक नई टिहरी सितम्बर 25, 2021:

विषय- **जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 7.775 कि0मी0 में आ रही आरक्षित वन भूमि 2.9925 है0 के दुगने भाग अर्थात 5.985 है0 रिक्त पडी सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक।।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग चम्बा, टिहरी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्याः-1803 / 13 M.G दिनांक 26.08.2021 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 7.775 कि0मी0 में आ रही आरक्षित वन भूमि 2.9925 है0 के दुगने भाग अर्थात 5.985 है0 के बराबर रिक्त पडी सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

सन्दर्भित प्रकरण पर तहसीलदार टिहरी से भूमि के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार टिहरी ने अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया है कि ग्राम कोट के ज0वि0र0 खतौनी संख्या-65 में खसरा नम्बर 1234 रक्वा 0.466 हे0, 2561 रक्वा 1.234 हे0, 2562 रक्वा 1.482 हे0, 2576 रक्वा 1. 946 हे0, 2583 रक्वा 0.812 हे0, 2596 रक्वा 0.344 हे0, कुल खेत 6 रक्वा 6.284 हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ड. दर्ज अभिलेख है, जिसका नक्शा, खसरा तीन-तीन प्रतियों में संलग्न है। ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग के नव निर्माण 7.775 किमी0 में आ रही आरक्षित भूमि 2.992 हे0 के दुगने भाग 5.984 हे0 भूमि की आवश्यकता है। तहसीलदार कण्डीसौंड द्वारा ग्राम कोट में 6.284 हे0 उत्तराखण्ड सरकार की भूमि का प्रस्ताव क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः तहसीलदार कण्डीसौंड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव संस्तुति सहित मय नक्शा, खसरा (तीन-तीन प्रतियों में) संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में सम्प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

उप जिलाधिकारी,
टिहरी।

R.No. 1297/ALC-II
29/9/21
अधिशासी अभियन्ता,
लो०नि०वि० चम्बा

कृ० उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

AE-V कार्यवाही को

R.N. 3626
28/9/2021
2314
05-10-21